

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 9551 / 12-12 अल्मोड़ा दिनांक 14/12/2018

सेवा में

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।

विषय — सरपटा— चनुली —कोटा —बासोट मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं० 9017/2014)

सन्दर्भ— आपकी पत्र सं० 1356/36सी० दिनांक 11.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण वर्ष 2018-19 की निर्धारित दरों के अनुसार तैयार किया गया है। कृपया वॉच्छित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जाय।

क्र०सं०	मद	ईकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	0.537 है०	657000.00	352809.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण			
3	परियोजना के आस पास खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना			
4	प्रभावित दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	1380 वृक्ष	11000 प्रति वृक्ष	1518000.00

अतः उक्त डिमाण्ड नोट आनलाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा